कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ

संख्या–एम0ई0–3/पीजी0–2022/2541 लखनऊःदिनांक 02 नवम्बर 2022

यू0पी0नीट पी0जी0–2022–23 की द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग आवंटन/पुनरावंटन प्राप्त अभ्यर्थियो की प्रवेश–प्रकिया पूर्ण किये हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश

1. राजकीय क्षेत्र की सीटो पर आवंटित/पुनरावंटित अभ्यर्थियो की प्रवेश प्रकिया सम्बन्धित मेडिकल कालेज/संस्थान/विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता स्तर पर सम्पन्न की जायेगी।

2. निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजो की सीटों पर आवंटित/पुनरावंटित अभ्यर्थियो की प्रवेश प्रकिया शासन द्वारा नामित नोडल सेन्टरो पर करायी जायेगी।

3. निजी क्षेत्र के गैर अल्पसंख्यक मेडिकल की सीटों हेतु शासन द्वारा निर्धारित क्लीनिकल/प्री–पैराक्लीनिकल पाठ्यक्रम का शिक्षण शुल्क तथा निजी क्षेत्र के अल्पसंख्यक मेडिकल कालेजो हेतु कालेज प्रबन्धन द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क का सी0टी0एस0 बैक ड्राफ्ट, जो **महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0** (Director General, Medical Education & Training, U.P. Payable at Lucknow) के पक्ष मे निर्गत किया गया हो, लिया जायेगा।

4. राजकीय एवं निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजो के शिक्षण शुल्क का विवरण इस कार्यालय की विभागीय वेबसाइट dgme.up.gov.in पर उपलब्ध है।

5. निजी क्षेत्र के कुछ मेडिकल कालेजो द्वारा प्री–पैराक्लीनिकल पाठ्यक्रमो के शिक्षण शुल्क संशोधित किया गया है, जिसे विभागीय वेबसाइट dgme.up.gov.in पर प्रदर्शित किया जा चुका है। अतएव कालेजो द्वारा उपलब्ध कराये संशोधित शिक्षण शुल्क का सी0टी0एस0 बैक ड्राफ्ट, जो **महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0** (Director General, Medical Education & Training, U.P. Payable at Lucknow) के पक्ष मे निर्गत किया गया हो, लिया जायेगा।

6. पुनरावंटन के पश्चात् आवंटित कालेज एवं प्रथम चक मे आवंटित कालेज के शिक्षण–शुल्क में यदि किसी प्रकार की भिन्नता अर्थात् शिक्षण शुल्क कम होता है, तो अधिक जमा किये गये शिक्षण शुल्क आवंटित कालेज को प्रेषित कर दी जायेगी, जो कालेज द्वारा कालेज की हास्टल/सिक्योरिटी शुल्क मे समायोजित कर ली जायेगी तथा यदि कालेज का शिक्षण शुल्क अधिक होता है, तो अन्तर की धनराशि (Difference Amount) का बैंक ड्राफ्ट नोडल सेन्टर पर जमा किया जायेगा।

7. आवंटन–पत्र डाउनलोड करने के पश्चात् अभ्यर्थी प्रवेश हेतु आवंटित/पुनरावंटित कालेज/नोडल सेन्टर पर आवंटन पत्र, शिक्षण शुल्क की रसीद, एम0सी0आई0/डी0सी0आई0 मे पंजीकरण का प्रमाण–पत्र, एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0 की डिग्री, आरक्षण से संबंधित प्रमाण–पत्र, आई0डी0 इत्यादि का परीक्षण मूल अभिलेखो से करते हुए मूल अभिलेख जमा कराये जायेंगे।

8. प्रथम चक्र की कॉउन्सिलिंग से प्रवेशित अभ्यर्थी, जिन्होंने द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग मे प्रतिभाग नहीं किया गया है अथवा प्रतिभाग करने पर उन्हें कोई भी पुनरावंटन नहीं हुआ है, ऐसे अभ्यर्थी संबंधित कालेज मे अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत किया जायेगा।

महानिदेशक